अपील/रसद/07/2024 न्यायालय जिलाकलक्टर,भरतपुर (राज0)

शेरसिंह उचित मूल्य दुकानदार (एफ.पी.एस.कोड 18332) ग्रांम पंचायत खूँटखेडा तहसील बयाना जिला भरतपुर

बनाम .....अपीलान्ट

जिला रसद अधिकारी, भरतपुर .....रेस्पो0

अपील विरुद्व आदेश जिला रसद अधिकारी भरतपुर दिनांक 26–06–2024,

उपस्थित :–

1–श्री विमल सिंह अभिभाषक अपीलान्ट
2–श्री संजीव शर्मा, ई0ओ0 पैरोकार रसद

निर्णय दिनांक 30–08–2024

अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 26–06–2024 के खिलाफ पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश में जिला रसद अधिकारी भरतपुर ने अपीलान्ट डीलर का अनुज्ञापत्र निरस्त करते हुये सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि 1000/– रुपये जप्त किये जाने की आज्ञा दी गई है। उक्त आज्ञा के खिलाफ यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पो एवं पत्रावली तहत तलब की गई। जिला रसद अधिकारी भरतपुर से प्राप्त तहत पत्रावली सलंग्न की गई। उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि तहत न्यायालय ने अपीलान्ट पर जो आरोप लगाये हैं वे गलत हैं। अपीलान्ट की दुकान खुली हुई थी, राशन वितरण का कार्य किया जा रहा था। इसी बीच भीड़ कम होने से प्रार्थी खाना खाने घर चला गया था। दुकान पर गेंहू पूर्ण था करीब 63.19 क्वि. सुरक्षा की दृष्टि से दुकान की बगल में गोदाम में रखा हुआ था, भोतिक सत्यापन में 29 क्वि. गेहूं दुकान में मिलना बताया जाकर 63.19. क्वि. गेंहू कम मिलना बताया गया है जो गलत है। वक्त निरीक्षण ये बात प्रवर्तन निरीक्षक को बताई गई कि शेष गेहूं बगल के गोदाम में है, गोदाम की चाबी पुत्र के पास है जो अस्पताल गया हुआ है। 16 अन्नपूर्णा फूड पैकिट एवं 15 ऑयल पैकिट को नहीं सभंलाने जैसा कोई आरोप कारण बताओ नोटिस में नहीं दिया गया है यह आरोप तहत न्यायालय ने

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

अपील / रसद / 07 / 2024
शेरसिह बनाम डी.एस.ओ.भरतपुर

गलत रुप से बाद में निर्णय में जोड़ा गया है। प्रार्थी ने सभी उपभोक्ताओं को नियमानुसार गेंहू का वितरण किया गया है। ऐसे सभी उपभोक्ताओं ने अपने बयान तहत न्यायालय में लिपिबद्ध कराये गये हैं सभी ने गेंहू प्राप्त करने स्वीकार किया है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट का तर्क है कि अपीलान्ट पर गेंहू गबन करने कालाबाजारी जैसा कोई आरोप प्रमाणित नहीं है, और ना ही प्रार्थी ने कोई कालाबाजारी की है। निलम्बन के दौरान गेहूं के लेने देन में देरी हुई थी। जिसके लिये प्राधिकार पत्र के निरस्त करने जैसा कठोर दण्ड दिया जाना उचित नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की आज्ञा दी जावे।

पैरोकार रसद ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि अपीलान्ट दूसरे डीलर को चार्ज में गेहूं करीब 2 माह बाद सभांलाया है। पॉच उपभोक्ताओं का बायोमैट्रिक सत्यापन किये जाने बाद उन्हें गेंहू नहीं दिया गया है। वक्त निरीक्षण दुकान में 63.19क्वि. गेहूं कम पाया गया। अपीलान्ट डीलर का यह कृत्य कालाबाजारी गबन की तारीफ में आता है। अपीलाधीन आदेश सही पारित किया गया है। अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावलीयों का अध्ययन किया गया। उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। अपीलान्ट पर वक्त निरीक्षण वक्त निरीक्षण 63.19 क्वि. गेहूं कम मिलने, पांच उपभोक्ताओं को गेंहू वितरण नहीं करने, निलम्बन के बाद 2 माह बाद अन्य डीलर को गेंहू सभांलाना एवं अन्नपूर्णा के आयल पैकिट का वितरण नही किये जाने का गेंहू गबन एवं कालाबाजारी दोषी मानते हुये अपीलान्ट डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने एवं प्रतिभूति राशि जप्त किये जाने के आदेश दिये गये हैं।

तहत पत्रावली में उपलब्ध पत्रादि का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट पर वक्त निरीक्षण 63.19 क्वि. कम मिलने का आरोप है, इस सम्बन्ध में तहत पत्रावाली में उपलब्ध रसीद गेंहू सभंलवाने से स्पष्ट है कि अपीलान्ट डीलर द्वारा 63.19 क्वि. निलम्बन के बाद आदेशानुसार अन्य डीलर नबाबसिंह को करीब दो माह बाद दिया गया है। जहॉ तक पांच उपभोक्ताओं को गेंहू वितरण नहीं करने का आरोप का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में तहत न्यायालय ने वक्त जांच कथित पांच उपभोक्ता कमशः बर्फी पत्नी रामेश्वर, मौनू पुत्र अजयसिंह, गीतादेवी पत्नी श्री उम्मेदसिंह, रविता पत्नी मौहनसिंह, एवं सियाराम पुत्र कमोद सिंह के बयान लिपिबद्व किये गये जो तहत पत्रावली में शामिल हैं, उक्त बयानात में सभी उपभोक्ताओं ने अपना गेहूं डीलर से प्राप्त करना स्वीकार किया है। तहत न्यायालय ने भी अपीलाधीन आदेश दिनांक 26–6–2024 के प्रथम पेज की अन्तिम लाईन में स्वीकार किया है कि –

> "………प्रकरण में गेहॅू के गबन की परिस्थिति का तो निराकरण हो गया परन्तु मौके पर कम पाये गये गेहॅू व अन्य राशन सामग्री का आरोप प्रमाणित रहता है……. ।"

……3

जिला कलक्टर
भरतपुर

अब प्रश्न यह है कि क्या अपीलान्ट ने 63.19 क्वि कम पाये गये गेंहू को कालाबाजारी में बेचना कर दिया गया है या गबन किया गया है। तहत पत्रावाली में उपलब्ध रसीद से स्पष्ट है कि अपीलान्ट डीलर ने निलम्बन के बाद अन्य डीलर नबाबसिंह को 63.19 क्वि. चार्ज में दो माह बाद सभांला दिया है, यानि अपीलान्ट पर कालाबाजारी या गबन जैसा कोई गंभीर आरोप प्रमाणित नहीं है। तहत न्यायालय ने अपने निर्णय में अन्नपूर्णा फूड पेकिट एवं ऑयल पैकेट का वितरण करने का जो आरोप लगाया है यह स्वीकार योग्य नहीं रहता है क्यों कि निरीक्षण अधिकारी रसद ने इस आरोप को अपनी जांच रिपोर्ट में नहीं लिया गया है और नांही तहत न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को दिये गये कारण बताओं नोटिस में इस आरोप का कोई उल्लेख है।

इस प्रकार अपीलान्ट डीलर द्वारा निलम्बन के दो माह बाद अपना गेंहू चार्ज अन्य डीलर को देना का दोषी है, इस आरोप के लिये इतना बड़ा कठोर दिया जाना तर्क संगत नहीं रहता है। इस त्रुटि/आरोप के लिये हम यह उचित पाते हैं कि अपीलान्ट डीलर की प्रतिभूति राशि 1000/–रुपये जप्त की जावे।

अतः आदेश है कि –

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.6.2024 में आंशिक संशोधन किया जाता है, अपीलाधीन आज्ञा में से प्राधिकार पत्र निरस्ती के आदेश को निरस्त किया जाता है, शेष प्रतिभूति जप्ती आदेश को यथावत रखा जाता है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि अगर अपीलान्ट डीलर अपनी प्रतिभूति राशि 1000/–रुपये जमा राजकोष करादे तो अपीलान्ट डीलर की वितरण व्यवस्था तुरन्त प्रभाव से चालू की जावे। निर्णय प्रति के साथ जिला रसद अधिकारी भरतपुर को तहत पत्रावली वापिस लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 30–08–2024 को सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर